रजिस्टर्ड नं० एल० ३८८

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 4 जनवरी, 1971

पौष 14, 1892 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका विभाग

संख्या 6160/17--327-70

लखनऊ, 4 जनवरी, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 1970 पर दिनांक २ जनवरी, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिये — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) यह 11 अगस्त, 1970 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 में--

(1) उपधारा (3) में--

(क) अंक तथा शब्द "6 प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "12 प्रतिशत" रख दिये जायें,

(ख) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन देय ब्याज, भले ही ऐसे ब्याज के निर्धारण, आरोपण या मांग का कोई आदेश या नोटिस किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया या जारी किया गया न हो, वसूल किया जा सकेगा ।" ;

(2) उपधारा (5) में शब्द; अंक तथा कोष्ठक "इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के आदेश या उपधारा (3) के अधीन ब्याज की मांग या उपधारा (4) के अधीन दंड के आरोप से क्षुब्ध कोई व्यक्ति", के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के आदेश या उपधारा (4) के अधीन दंड के आरोपण के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश की उसे सूचना होने के तीस दिन के भीतर" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें ।

वैधीकरण

3—किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन देय किसी ब्याज की वसूली के लिये किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही वैध और सदैव से वैध रही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) (ख) व (2) के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे, और तदनुसार ऐसे ब्याज की वसूली के लिये कोई भी कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के पूर्व ऐसे ब्याज के निर्धारण, आरोपण या मांग के किसी आदेश या नोटिस के न होने के कारण न तो अवैध समझी जायगी और न कभी अवैध होगी ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 14, 1970 के अध्याय 5 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1970 का अध्याय 5 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

No. 6160/XVII 327-1970

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Kraya-Kar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sanky 1 of 1971), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 1971 :

UTTAR PRADESH SUGARCANE (PURCHASE TAX) (AMENDMENT) ACT, 1970

(U. P. ACT No. 1 OF 1971)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the U. P. Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961

U. P. Act IX of 1961.

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Purcha Tax) (Amendment) Act, 1970.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 11th August, 19

Amendment of section 3 of U.P. Act IX of 1961.

2. In section 3 of the U. P. Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, here after referred to as the principal Act,—

(i) in sub-section (3)—

(*a*) *for* the words "six per cent" the words "twelve per cent" sh be *substituted*;

(*b*) at the end, the following Explanation shall be *inserted* a be deemed always to have been *inserted*, namely—

"*Explanation*—Interest falling due under this sub-section shall recoverable notwithstanding that no order or notice of assessm imposition or demand of such interest is passed or issued by authority.";

(ii) in sub-section (5), *for* the words, figures and brackets "Any person aggrieved by an order of assessment made under this Act or by demand of interest under sub-section (3) or by an order imposing penalty under sub-section (4), may, within thirty days of the intimation to him of the order or demand", the words, figures and brackets "Any person aggrieved by an order of assessment made under this Act or by an order imposing penalty under sub-section (4) may, within thirty days of the intimation to him of the order," shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

Validation

3. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court to the contrary, anything done or any action taken for the recovery of any interest fallen due under sub-section (3) of section 3 of the Principal Act shall be deemed to be and always to have been valid as if the provisions of clauses (i) (*b*) and (ii) of section 2 of this Act were in force at all material times, and accordingly, no proceedings for recovery of such interest shall be deemed to be or ever to have been invalid on the ground of absence of any order or notice of assessment, imposition or demand of such interest before the initiation of such proceedings.

Repeal of Chapter V of U. P. Ordinance No. 14 of 1970.

4. Chapter V of the Uttar Pradesh Taxes and Fees Laws (Amendment) Ordinance, 1970, is hereby repealed.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
संयुक्त सचिव।

यू० एस० यू० पी०--ए० पी० 278 गजट (हि०)—1971--2,035+100+250 (मे०)।